राष्ट्रीय एकात्मता
एवम्
श्रमिक क्षेत्र

NATIONAL INTEGRATION AND LABOUR

राष्ट्रीय एकजुटता के लिये एवं
राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन
नई दिल्ली, ११ मई १९८६
NATIONAL TRADE UNION CONVENTION
FOR NATIONAL INTEGRATON
AGAINST COMMUNALISM & DIVISIVE FORCES
NEW DELHI. 11th MAY 1986

प्रस्तावना

श्रमिक बन्धुओं से

भारतीय मजदूर संघ के दिवंगत अध्यक्ष श्री मनहर भाई मेहता न सिर्फ एक मजदूर नेता थे अपितु कुशल वक्ता, श्रेष्ठ विचारक, लेखक, प्रखर राष्ट्रवादी एवं कुशल संघटक भी थे । किसी भी पेचीदे प्रश्न का हल वे आसानी से खोज लेते थे, और कठिन से कठिन विषय सर्वसामान्य लोगों की समझ में आए इस तरह से रखते थे या उस विषय पर लिखते थे ।

"राष्ट्रीय एकात्मता" ऐसा ही एक विषय है जो कई वर्षो से चर्चित है। परन्तु यह देश के मात्र कुछ इने - गिने नेताओं की चर्चा का विषय रहा है । यद्यपि नेताओं के इस पर बड़े ही उत्तेजक भाषण होते रहे और "राष्ट्रीय एकात्मता परिषद" में उत्तेजनापूर्ण वादविवाद होते रहे, लेकिन "राष्ट्रीय एकात्मता" को व्यवहार में उतारने में तथा राष्ट्र जीवन में उसे प्रगट करने में आज तक इने - गिने ही सफल रहे होंगे ।

श्रमिक क्षेत्र के बारे में सर्वसाधारण यही भ्रांति रही है कि "राष्ट्रीय एकात्मता" जैसे प्रश्न का इस क्षेत्र से कोई सम्बन्ध ही नहीं । श्री मनहर भाई के यहां प्रकाशित भाषण से यह शंका दूर होनी चाहिये । श्रमिक भी राष्ट्र का अंग हैं, अतः "राष्ट्रीय एकात्मता" के बारे में श्रमिक एवं उद्योगपति दोनों को ही विचार करना चाहिये । बल्कि इस सम्बन्ध में विचार करना उनका कर्तव्य है, और इससे भी अधिक उन्हें, "राष्ट्रीय एकात्मता" को अपने जीवन में उतारना चाहिये। श्री मनहर भाई ने इस संबंध में "राष्ट्रीय एकात्मता" का क्रियात्मक एवं व्यावहारिक पक्ष सामने रखकर दिशा दर्शन किया है ।

प्रस्तुत पुस्तिका में इस सम्बन्ध में दो लेख है। प्रथम लेख में उनका वह मार्ग- दर्शक भाषण है जो उन्होंने 11 मई 1986 को, भारत के सभी श्रमिक-संगठनों द्वारा "राष्ट्रीय एकात्मता" के सिलसिले में बनाये गये साझे मंच से दिया था। और दूसरे लेख में नई दिल्ली में 11/4/90 को हुई "राष्ट्रीय एकात्मता परिषद" की बैठक में श्री मनहर भाई द्वारा लिखित रुप से प्रस्तुत किए गये विचार हैं। राष्ट्रीय एकात्मता के सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ का दृष्टिकोण भी इन दो लेखों से स्पष्ट होता है। पुस्तिका में कुछ चित्र एवम श्री मनहर भाई का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। आशा है यह पुस्तिका संपूर्ण श्रमिक क्षेत्र ही नहीं सर्वसाधारण जनता के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

जी. प्रभाकर

श्री मनहर भाई मेहता

श्री मनहर भाई मेहता का दुःखद अन्त, 17 अप्रैल 1990 को, मुम्बई के एक उप-स्टेशन-ग्रांट रोड स्टेशन- पर, रेल-दुर्घटना से हुआ। भारतीय मजदूर संघ की मानों पितृछाया ही नष्ट हो गई। प्रियभाषी-मृदुभाषी, हृदय में सबके लिए अपार स्नेह, सदा हंसमुख-ऐसा उनका व्यक्तित्व था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक निष्ठावान स्वयंसेवक थे। और भारतीय मजदूर संघ के तो वे अध्यक्ष ही थे।

गुजरात के अहमदाबाद जिले के रंगपुर में, एक संभ्रांत गुजराती परिवार में, 25 दिसम्बर 1929 को उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा-दीक्षा करार्ची में हुई। सन् 1947-48 में वे संघ के संबंध में आए एवं संघ के प्रचारक भी बन गए। देश-विभाजन के पश्चात् उनका परिवार मुम्बई आया एवं मनहर भाई ने एक लिपिक (क्लर्क) के रुप में "बेस्ट" (बॉबे इलेक्ट्रिक सप्लाय एण्ड ट्रांसपोर्ट) में नौकरी शुरु की। इसके साथ ही कानून की पढ़ाई की एवं वह पूर्ण होते ही बेस्ट की नौकरी छोड़ कर उन्होंने कर (टैक्सेशन) में वकालत शुरु की। सन् 1959 में उन्होंने भारतीय मजदूर संघ का कार्य करने का निश्चय किया एवं तब से अपना सारा समय गरीब जनता की सेवा में लगाना उन्होंने प्रारम्भ किया। परिश्रम पूर्वक, उन्होंने मुम्बई में भा. म. सं. की इकाइयां खड़ी की। श्रमिकों के वकील के रुप में उनकी टक्कर का दूसरा वकील नहीं था। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ कर महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को "बोनस भुगतान कानून-1965 के अन्तर्गत बोनस दिलवा दिया। वकील के नाते, इस विजय श्री के कारण, उनकी ख्याति और भी बढ़ गई।

प्रारम्भ से, अर्थात् 1959 से भारतीय मजदूर संघ, मुम्बई में विभिन्न जिम्मेदारियां सम्भाली, पश्चात महाराष्ट्र प्रदेश एवं अ.भा. जिम्मेदारियाँ भी निभाईं, और अन्त में 1984 के भामसं. के हैदराबाद अधिवेशन में उन पर अ.भा. अध्यक्ष के रुप में जिम्मेदारी सौंपा गई। इतने बड़े पद पर होने पर भी वे कार्यकर्ताओं से सदा यही कहते कि वें भी उनमें से एक है। किसी विशेष व्यवहार की उन्होंने कभी अपेक्षा तक नहीं की।

1959 से 1990 तक के काल में उन्होंने भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व संगठनात्मक मंच, द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताएं, सरकारी समितियां (यथा ई. एस. आय कारपोरेशन बोर्ड एवं राष्ट्रीय एकत्मता परिषद) आदि में कुशलता से किया। यह करते समय राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने मजदूरों का अधिक से अधिक हितसाधन करने का प्रयास किया। वे अपना अध्ययन-पूर्ण विचार रख देते। किसी विषय की उनकी पूर्ण तैयारी परिपूर्ण हुआ करती थी, परन्तु यदि किसी विषय की उन्हें जानकारी न हो तो वे निसंकोच एवं बे-हिचक वह स्वीकार करते। अपना बडप्पन दिखाने या उस हेतु घमंड में आकर कुछ बोलने का उन का स्वभाव ही नहीं था।

उन्होंने भामसं. के वैचारिक आधार को मजबूत बनाने में काफी कुछ किया। दो बड़ी पुस्तकों के संपादन में भी उनका अमुल्य योगदान रहा। इनमें से एक पुस्तक थी- "लेबर पोलिसी" जो 1967-68 में "नेशनल कमीशन आंन लेबर" को सौंपी गई थी। और दूसरी पुस्तक थी "नेशनल चार्टर ऑफ डिमांडस ऑफ इंडियन लेबर" जो 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी को समर्पित की गई थी। श्री मनहर भाई ने कितनें ही लेख अभिलेख, पत्रक या पत्र श्रम क्षेत्र के बारे में लिखे। उनकी पुस्तक "सोशल रिसपांसिबिलिटीज आफ ट्रेड यूनियन्स" में उन्होंने बड़े स्पष्ट रुप से लिखा है कि लोग भले ही श्रम संघों (ट्रेड यूनियनों) को फसाद करवाने वालोंकी संज्ञा देते होंगे, परन्तु सत्य यह है कि जहां विवाद या फसाद हो वहां श्रमसंघ वाले पहुंचते हैं। श्रम संघों के कार्यकर्ताओं के लिए उनके दो लेख-"भूतलिंगम कमेटी-1979 "एवं" मेनेस आफ मल्टिनेशनल्स"-1980- बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए। श्रम संघ एवं औद्योगिक विवाद (पूरक) बिल '1988, पर "दि ब्लैक बिल एक्सरेड" (काले बिल की समीक्षा) नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने जो टीका रुपी गोलाबारी की उससे सरकार की हालत खराब हो गई एवं परिणाम स्वरुप राज्यसभा में प्रस्तुत इस बिल पर आगे विचार भी नहीं किया गया। चीन में गए भा.म.सं. के एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में वे थे। वहां से लौटने पर 1985 में "चायना इन ट्रांजिशन" नाम की पुस्तिका लिखी। इस पुस्तिका से, चीन की अंदरुनी हालत एवं वैचारिक संघर्ष का उन्होंने इतने अल्पकाल में कितना गहरा अध्ययन कर लिया था, इसकी झलक मिलती है। "वार अगेन्स्ट फॉरिन इकॉनामिक इंपीरियलिज्म" नामक उनकी पुस्तक में, उनकी प्रगाढ़ दूर दृष्टि की झलक मिलती है। निकट भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी- इस संबंध में उन्होंने भविष्य वाणी की है और इस सिलसिले में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षडयन्त्रों को नकारा करने हेतु कदम उठाने का आह्वान भी किया है। अपने देश की गलत राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं का भी उन्होंने पर्दाफाश किया है।

ऐसे बहुमुखी-प्रतिभा सम्पन्न श्रमिक नेता के निधन से भारतीय मजदूर संघ आज अनाथ हो गया है। उनकी सादगी एवं उनके गुणों के कारण, कार्यकर्ताओं के मन में, उनकी स्मृति सदा ताजी रहेगी।

* * *

राष्ट्रीय एकता एवम् मजदूर

(सभी ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच पर 11 मई, 1986 को राष्ट्रीय एकात्मता पर श्री मनहर भाई मेहता का वक्तव्य-)

हम सभी लोग कामगार का जीवन-स्तर ऊपर उठे इसलिए वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस इत्यादि का आन्दोलन करते हैं। किन्तु साथ-ही-साथ एक शोषणमुक्त समाज और एकात्म राष्ट्र का निर्माण हो, यह भी विचार लेकर हम हमेशा चले हैं। इस विचार को साकार स्वरुप देने के लिए आज सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों के और भारत के सभी मजदूरों के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं।

देश आज एक महान संकट से घिरा हुआ है। चारों ओर प्रान्तभेद, भाषाभेद सम्प्रदायभेद आदि विघटनकारी प्रवृतियां बढ़ रही हैं। इस गम्भीर परिस्थिति में सभी भेदों से ऊपर उठ कर राष्ट्र की एकात्मता को सुदृढ करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

यह एक सौभाग्य की बात है, जैसाकि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने अभी कहा कि सम्पूर्ण भारत के मजदूर नेता आज एकत्रित आकर पहली बार मिले हैं और राष्ट्र के बाकी सभी वर्गो को और जनता को एकात्म राष्ट्र बनाने के कार्य में एक नया नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। इस दृष्टि से आज का दिन भारत के कामगार आन्दोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसके लिए मैं आपको, सभी आयोजकों और संयोजकों को और जिन्होंने यह उदात्त विचार प्रस्तुत किया और परिश्रम करके इतना बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन बुलाया, उन सभी को मैं फिर से एक बार अन्तःकरण से धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्र किसे कहते हैं

जब हम राष्ट्र की एकात्मता के लिए आगे बढ़े हैं तो हमें पहले यह स्पष्ट करना होगा कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है। राष्ट्र को एकात्म करना है तो राष्ट्र की आत्मा कौनसी है। इसके बारे में भी हमें स्पष्ट होना होगा। राष्ट्र बनने के लिए दो बातों की अनिवार्य आवश्यकता है- एक तो भौगोलिक एकता और दूसरी सांस्कृतिक एकता। यानि एक भू-भाग, कि जहां समाज रहता है; और दूसरी, ऐसे समाज की समान सांस्कृतिक परम्परा। इस प्रकार भूमि, जन और संस्कृति संघात से राष्ट्र निर्माण होता है। राष्ट्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी समझौते या सन्धि (Contract or Pact) से बनाया जाता है। राष्ट्र स्वयंभू है। वह एक जीवमान सर्वाङ्गपूर्ण सत्ता है। राष्ट्र का शरीर भूमि है और राष्ट्र की आत्मा संस्कृति है। राष्ट्र अनिवार्य रुप से एक सांस्कृतिक इकाई है (Nation is essentially a Cultural Unit) इस प्रकार शास्त्रशुद्ध दृष्टि से हम विचार करें तो हमारे ध्यान में आयेगा कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है।

भारत माता

अनेक सदियों से इस भूमि पर हमारा समाज रहता है। इस समाज ने इस भूमि को सदैव मातृभूमि के रुप में देखा है। इस भूमि का एक-एक कण पवित्र है। कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरुप तक, यह सारा देश एक है। इसकी रज का कण-कण हमारे लिए पवित्र है। यहां जितने भी लोग रहते हैं वे सभी मेरे बन्धु हैं, इस प्रकार की भावना प्राचीन काल से अपने यहाँ उत्पन्न की गई। इस भूमि के प्रति अटूट श्रद्धा होने के कारण इसको हमने भारत माता कहा। इस भूमि की स्वतंत्रता के लिये अनेक लोगों ने बलिदान दिए और 'वन्दे मातरम्' कहते हुए अपना सारा जीवन इस राष्ट्र देवता को अर्पित किया। तब हम आजाद हुए हैं। आजादी के पश्चात् हम इस मातृभूमि के भाव को और इसकी अखण्डता को बनाये रखें यह हमारा कर्तव्य है। यह हमारी जन्मभूमि है, पुण्यभूमि है, मातृभूमि है। भारत हमारी माता है और हम इसके पुत्र होने के कारण बन्धु-बन्धु हैं, यह भाव कामगारों में तो है, परन्तु अब समय आया है, जब कामगारों नें नेतृत्व करके सारे समाज में इस भाव को जागृत करना होगा यह जिम्मेदारी भी आज अपने ऊपर आती है ऐसा मैं समझता हूं। यह एक विधेयात्मक भाव (Positive Concept) है कि हम 'भारत माता' के पुत्र हैं, इसीलिए हम सभी बन्धु-बन्धु हैं।

भारत माता के पुत्र

कभी-कभी प्रतिक्रियात्मक दृष्टि से भी 'बन्धु-बन्धु' शब्द का प्रयोग होता है। मैं बम्बई में रहता हूं। वहाँ 1956 में महा गुजरात तथा संयुक्त महाराष्ट्र के लिए आन्दोलन चला था और फार्यारिंग भी हुआ था। उस समय मुरारजी भाई मुख्यमन्त्री थे। तब एक नारा प्रचलित हुआ था-"गुजराती-मराठी भाई भाई, दोनों का दुश्मन मोरारजी भाई"। एक कोई हमारा समान शत्रु (Common enemy) है तथा इसलिए हम भाई-भाई हैं, यह कहना गलत होगा। ऐसे भ्रातृत्व का नारा क्षणजीवी होगा। हम सभी भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए हम सब बन्धु है, यह चिरंजीव भाव उत्पन्न करना होगा। मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं आसामी हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं पारसी हूं, मैं वेष्णव हूं, मैं शैव हूं- इस प्रकार की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर मैं पहले और आखिर तक भारतीय हूं, मैं इस पवित्र मातृभूमि का भक्त हूं और हम सब एक हैं, यह भाव जन-जन के मन में जाग्रत करना होगा। इससे ही राष्ट्रीय एकात्मता दृढ़ होगी।

हमारे राष्ट्र की आत्मा है भारतीय संस्कृति। यह संस्कृति अति प्राचीन है, मानवहितकारी है, विश्वबन्धुत्ववादी है, एकात्मवादी है। हमारे यहाँ कहा गया है कि-

अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

अर्थात हमारी संस्कृति विशाल-हृदया है तथा उसने सम्पूर्ण विश्व को कुटुम्ब माना है। हम सभी परमात्मा के पुत्र हैं और इसलिए बन्धु-बन्धु हैं, इस प्रकार की मानववादी भावना प्रकट

करके हमारी संस्कृति ने मनुष्य-मनुष्य के बीच प्रेम और आत्मीयता का सच्चा आधार प्रदान किया है।

भारत अनेक राष्ट्रों का समूह नहीं

सुविख्यात साम्यवादी नेता तथा केरल के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री अच्युत मैनन ने 1984 के अपने एक लेख में भारतीय राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक एकता का विशेष वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि हम प्रारम्भ में यह मानते थे कि भारत 16 या 17 राष्ट्रों का समूह है। परन्तु अब ध्यान में आया है कि भारत एक राष्ट्र है और भारत में प्राचीन काल से भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता विद्यमान है। इस सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ बनाने में भारतीय तत्वज्ञान ने, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रन्थों ने तथा सामान्य लोगों की भारतव्यापी तीर्थ-यात्राओं ने अत्यन्त सहायता की है, ऐसा उन्होंने लिखा है।

हम सब एक हैं

"अनेकता में एकता" यह भारतीय परम्परा और संस्कृति की एक विशेषता रही है। यह सही है कि भारत में विविध भाषा, विविध सम्प्रदाय, विविध प्रान्त हैं। परन्तु यह विविधताएँ विभेद के लक्षण नहीं हैं, वरन् राष्ट्रजीवन की विकसित अवस्था के कारण हैं। हम बाह्य एकरुपता में नहीं, परन्तु आन्तरिक एकता में विश्वास करते हैं। सम्प्रदाय अनेक हैं किन्तु संस्कृति एक है, भाषाएँ अनेक हैं किन्तु भाव एक है, प्रान्त अनेक हैं किन्तु राष्ट्र एक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि "हम सब एक हैं" यह मन्त्र, यह नारा हम बुलन्द करें और इसको साकार स्वरुप दें।

साम्प्रदायिकता घातक है

प्राचीन काल से चली आ रही अपने देश की सांस्कृतिक परम्परा के अनुरुप हम सम्प्रदाय की स्वतन्त्रता (Freedom of religion) सम्प्रदायनिरपेक्ष राज्य (Secular State) के समर्थक हैं। साम्प्रदायिकता (Communalism) अर्थात् सम्प्रदाय के आधार पर विशेषाधिकार की धारणा भारत की संस्कृति के प्रतिकूल है, राष्ट्र के लिए घातक है तथा प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

विशाल कुटुम्ब

हमारे यहाँ सम्प्रदाय-स्वातन्त्र्य अर्थात् उपासना पद्धति के स्वातन्त्र्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को था। परमेश्वर की प्राप्ति करने के अनेक मार्ग और पन्थ हो सकते है। तथा अपनी प्रकृति, प्रवृति और रुचि के अनुसार अपना मार्ग चूनने का स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्ति को हैं। हमने सम्प्रदाय को सम्पूर्ण रुप से व्यक्तिगत बात माना है (Religion is concerned with the relationship between the Person and his God)। इस प्रकार की उपासना पद्धति के स्वातन्त्र्य के कारण तथा उदारमतवादी विशाल दृष्टिकोण के कारण भारत में अनके सम्प्रदायों की स्थापना हुई तथा सम्प्रदायों की आश्चर्यजनक विविधता रही। परन्तु इन विविधताओं के

कारण साम्प्रदायिकता का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक अथवा संकुचित न होकर सर्वसमावेशक तथा सर्वोत्कर्षवादी हैं। सभी सम्प्रदाय भारतीय राष्ट्र के विशाल कुटुम्ब के अंग रहे तथा सार्वजनिक जीवन में एकात्मता, समानता तथा भेदभाव रहितता बनी रही।

सहिष्णुता और सम्मान

साम्प्रदायिकता के दानव को नष्ट करने के लिए कई बार कहा जाता है कि 'सहिष्णुता' का भाव निर्माण करना चाहिए। 'सहिष्णुता' शब्द बहुत नीचा है। इसमें एक अहंकार का भाव है जो केवल दूसरों के दृष्टिकोण को सहन करता है, किन्तु उसके लिए कोई प्रेम अथवा सम्मान नहीं रखता। परन्तु हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया है कि सभी सम्प्रदायों के प्रति न केवल सहिष्णुता का भाव अपितु सम्मान का भाव भी चाहिए। इस भाव को प्रकट करने के लिए एक श्लोक है-

आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्।
सर्वदेवनमस्कारं केशवं प्रति गच्छति ।।

अर्थात् जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी अन्ततोगत्वा सागर में ही जाता है, वैसे ही किसी भी देव को किया हुआ नमस्कार अन्ततोगत्वा 'केशव' को ही पहुंचता है। अर्थात् परमेश्वर के साक्षात्कार के अनेक मार्ग है और वे सभी मार्ग सही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से मिलता है। उन्होंने इस्लामी और ईसाई दोनों उपासनापद्धतियों से भी परमात्मा का साक्षात्कार किया। इसीलिए कहा गया, "मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना"।

अपने यहां राज्य सदैव सम्प्रदायनिरपेक्ष रहा है। मजहब को कभी भी राजनैतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक नीतियों का आधार नहीं बनाया गया है। सभी सम्प्रदायों के प्रति भेद-भाव रहित तथा आदर और सम्मान का व्यवहार किया गया। लगभग दो हजार वर्ष पूर्व पहली सदी में जब सेन्ट थॉमस भारत में आये, तो यहां के राजा ने उनके लिए चर्च बनवा दिया तथा ईसाई पद्धति से उपासना करने की उनको स्वतन्त्रता दी। ईरान से त्रस्त होकर जब पारसी सूरत में आये, तो वहां के राजा ने उनका स्वागत किया तथा गोमांस भक्षण नहीं करने की शर्त पर उनको यहाँ की भूमि पर आश्रय दिया और सभी प्रकार की सुविधाएँ दीं। यहूदियों ने तो कृतज्ञतापूर्वक यह लिखा है कि सारे विश्व में केवल हिन्दुस्थान ऐसा देश है जिसने हमें सम्मानपूर्वक रहने दिया तथा हमारे साथ भेदभाव रहित व्यवहार किया।

साम्प्रदायिकता: राजनीतिज्ञों की देन

बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले मुख्यतः सत्तापिपासु राजनीतिज्ञ हैं। वे ही वास्तविक अपराधी हैं। जिस प्रकार अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य टिकाने के लिए साम्प्रदायिकता को उभारा, वैसे ही आज के राजनीतिक नेता चुनावों में

वोट पाने के लिए तथा सत्ता प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिकता के आधार पर विघटनकारी प्रवृतियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। 1906 में आगाखान ने मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार की ब्रिटिश सरकार से मांग की, उसके पीछे यहाँ के अंग्रेज वाइसराय का इशारा था। वैसे ही थोक में वोट प्राप्त करने के लिए आजकल के राजनीतिक नेता विविध सम्प्रदायों को विशेषाधिकार माँगने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। सच ही कहा गया है कि-

कामातुराणां न भयं न लज्जा।
अर्थातुराणां न पिता न बंधु :।
सत्तातुराणां न दलं न राष्ट्रम्।।

जैसे धनपिपासु पूंजीपति पैसे कमाने के लिए किसी की परवाह नहीं करते वैसे सत्ता पिपासु राजनैतिक नेता चुनाव में जीतने के लिए साम्प्रदायिकता के राष्ट्रविघातक परिणामों की तनिक भी चिन्ता नहीं करते है।

मजदूरों की जिम्मेदारी

पंजाब में आतंकवादियों की हिंसात्मक कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। आसाम में दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) की माँग हो रही है। काश्मीर में कामगार क्षेत्र में मुस्लिम फ्रंट ने अपनी गतिविधि प्रारम्भ की है। ऐसी अनेक विघटनकारी तथा राष्ट्रविघातक प्रवृत्तियों से हम सब राष्ट्रवादी मजदूर स्वाभाविक रुप से चिन्तित हैं। मजदूर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार-स्तम्भ है तथा इस राष्ट्र का अति महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए राष्ट्र की एकात्मता को दृढ़ करने की जिम्मेदारी मुख्यतः मजदूरों पर है। यदि मजदूर खड़ा होगा तो राष्ट्र गिर नहीं सकता और यदि मजदूर बैठ गया तो राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता।

संकल्प

आनन्द की बात यह है कि आज भारत के सभी केन्द्रीय श्रम संगठन और एक प्रकार से उनके द्वारा भारत के सारे मजदूर यहाँ एकत्रित हुए है और संकल्प कर रहे है कि हम राष्ट्र में एकात्मता का निर्माण करेंगे, राष्ट्रविघातक साम्प्रदायिकता को खत्म करेंगे और विघटनकारी शक्तियों को कुचल देंगे। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमें जनता में राष्ट्रभक्ति की ज्वलन्त ज्योति प्रकट करनी होगी, इस पवित्र मातृ-भूमि के प्रति भक्तिभाव जाग्रत करना होगा, विश्वबन्धुत्ववादी भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा दृढ़ करनी होगी, सभी सम्प्रदायों के लिए सम्मान की भावना पैदा करनी होगी और जीवन के सभी व्यवहार में राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने की दिव्य दृष्टि निर्माण करनी होगी।

एक कवि ने कहा है- आकाश में जब चढ़ेगा रवि।
स्वयं नष्ट होगी निशा दानवी।।

अतः हम सभी मजदूर राष्ट्रभक्ति का प्रकाश जगमगायें ताकि राष्ट्र विघातक साम्प्रदायिकता का अन्धकार स्वयमेव नष्ट हो जाए।

आइये, हम सभी मजदूर भारत के कोने-कोने में पहुंच जायें, इस प्रस्ताव में घोपित कार्यकर्मो को सफल बनाने में जुट जायें तथा राष्ट्रीय एकात्मता की सुवास, सुगंध और सौरभ सारे देश में फैलाएं।

यूं होगी राष्ट्रीय एकात्मता

(11 अप्रैल 1990 को राष्ट्रीय एकात्मता परिषद में श्री मनहर भाई मेहता द्वारा प्रस्तुत लेख)

मुझे इस बात का गर्व है कि राष्ट्रीय एकता प्रस्थापन के प्रयास में भारत के "श्रमिक आन्दोलन" का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है।

नई दिल्ली में 11 मई 1986 को राष्ट्रीय एकता के लिए तथा सांप्रदायिक एवं राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरोध में, श्रमिक संघों का सम्मेलन हुआ था। आय.एन.टी.यू.सी., भा.म.सं., एच.एम.एस., सी.आई.टी.यू., ए.आई.टी.यू.सी., यू.टी.यू.सी. (एल एस.), टी.यू.सी.सी., एन.एल.ओ., यू.टी.यू.सी. एवं एन.एफ.आय.टी.यू., इन दस केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा यह सम्मेलन संयुक्त रुप से आयोजित किया गया था। यह अत्यन्त सफल रहा एवं इसके परिणाम स्वरुप स्वाभाविक ही जनता में इस बात की खुशी हुई कि देश के श्रमिक आन्दोलन ने भी राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का संकल्प किया है।

राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाले भारतीय मजदूर संघ को इस बात की प्रसन्नता है कि देश के विचारकों एवम् प्रबुध्द वर्ग में राष्ट्रीय एकता एवम् एकात्मता की दृष्टि से उपाय योजना की बढ़ती हुई आवश्यकता के बारे में चेतना जगी है।

राष्ट्र क्या है ?

लेकिन इसके लिए राष्ट्रीयता की सही परिभाषा एवं राष्ट्रीय चेतना के स्रोत के बारे में स्पष्ट परिकल्पना की आवश्यकता है।

तात्कालिक स्वार्थो की पूर्ति हेतु एकत्रित जनसमूह को राष्ट्र नहीं कहते, और न ही वह विविध पंथों एवं वर्गों का कोई एकत्रिकरण है। वह तो एक जीवित एवं जागृत इकाई है जो कि मातृ-भूमि के प्रति एकांतिक निष्ठा, भक्ति एवं पूर्ण समर्पण के भाव से ओतप्रोत तथा उसका प्रतीक होती है। साथ ही सबकी एक मातृभूमि और हम सब उसके पुत्र इस भावना में से उत्पन्न आपस के बंधुभाव की एक गहरी अनुभूति तथा अपनी परंपरा का अभिमान भी उसमें निहित होता है। इन्हीं तीन जीवन मूल्यों की उत्कटता से भोगोलिक तथा भावनात्मक दृढ राष्ट्रीय एकता और एकात्मता उत्पन्न होगी। राष्ट्रीय एकता प्रस्थापित करने का यही एकमात्र उपाय है।

भ्रम दूर हो !

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जनता से संबंधित मामलों में, पंथों (रिलिजन) के आधार पर अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक (मायनांरिटी एवं मेजोरिटि) ऐसा विभाजन करना और फिर उस आधार पर विशेष अधिकारों की मांग और प्रावधान करना यह स्वयं में फूट निर्माण करने वाली

तथा एकता-एकात्मता की भावना पर घातक प्रहार करने वाली प्रक्रिया है। यह तुरन्त ही बन्द होनी चाहिये। इससे तो सांप्रदायिक मानसिकता प्रकट होती है।

श्री हमीद दलवाई ने अपनी पुस्तक "मुस्लिम पालिटिक्स इन सिक्युलर इंडिया" (धर्म निरपेक्ष भारत में मुस्लिम राजनीति) में ठीक ही कहा है कि-"भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यक एवं हिन्दुओं को बहुसंख्यक कहना, यही अपने आप में धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है"। ऐसी बातों से देश के लोगों में फूट उत्पन्न होगी और इससे देश का और एक बार विभाजन होने की आशंका बनी रहेगी। भारत में रहने वाला विशाल जनसमूह अपने मन में इस भूमि का पुत्र या पुत्री होने की गौरवपूर्ण भावना को संजोए हुए है और इसी से यह एक जन (एक राष्ट्र) है।

अपना यह देश धर्म-निरपेक्ष है और सदा ही वैसा रहेगा। परन्तु ठोस एकता और एकात्मता के लिए देश के इस धर्मनिरपेक्ष स्वरुप की बार बार दुहाई देने या उसका आग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं। पश्चिमी देशों या दुनिया के अन्य देशों की परंपरा के विपरीत भारत सदा ही और सदियों से धर्मनिरपेक्ष रहा है, यह हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा से सिद्ध होता है । देश के इस धर्म निरपेक्ष स्वरुप की बार बार दुहाई देने से "उल्टे बांस बरेली को" वाली कहावत ही चरितार्थ होती है। अतः "धर्म निरपेक्षता" इस विशेषण का बार बार उच्चारण व्यर्थ एवं हास्यास्पद लगता है। वस्तुतः प्रत्येक भारतीय के मस्तिष्क में उत्कट राष्ट्रीय भावना का विकास होना एवं भारतीय राष्ट्रीय परंपरा तथा सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के प्रति उसके हृदय में अपार श्रद्धा का उदय होना, अत्यन्त महत्व की बात है, एवं आज इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है।

श्रमिक क्षेत्र एवं राष्ट्रीय एकात्मता।

श्रमिक तथा मालिकों (उद्योगपतियों आदि) की "राष्ट्र का विकास एवं उन्नति" के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता ही औद्योगिक एवं श्रमिक क्षेत्र की दृष्टि से राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति मानी जायेगी। राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के इस रचनात्मक दृष्टिकोण में निहित कल्पना या भावना यही है कि श्रमिकों या मालिकों को, व्यक्तिशः या मिलजुलकर सामूहिक रुप से-राष्ट्रहित, राष्ट्रीय आवश्यकता, राष्ट्रीय लक्ष्य या राष्ट्र के आदर्शो- के विपरीत या विरोधी कार्य करने की कतई छूट नहीं दी जा सकती। औद्योगिक संबंध मात्र श्रमिक एवं मालिक इन दो इकाईयों के बीच के ही संबंध नहीं होते। इसमें तीसरा पक्ष राष्ट्र है जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है एवं औद्योगिक संबंधों से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है। यह ठीक है कि श्रमिक एवं मालिक दोनों ही उत्पादन के लिये जिम्मेदार होते हैं। परन्तु वे जब प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुसार "सामुहिक सौदेबाजी" (कलेक्टिव बार्गेनिंग) के अंतर्गत कोई निर्णय लेते हैं या समझौता करते हैं तो वह निर्णय या समझौता मात्र उन दोनों के स्वार्थ पर आधारित एवं स्वार्थपूर्ति के निमित्त बना समझौता न हो। वह समझौता राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर बना हो तथा उससे उपभोक्ता का हित भी साध्य होता हो, क्योंकि इस तरह का आर्थिक हित और राष्ट्र हित दोनों एक ही वस्तु के दो पक्ष है एवं परिणाम की दृष्टि से एक है। मालिक एवं श्रमिक दोनों सामूहिक रुप से राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार

है। इन दोनों में से किसी एक को भी समाज-हित का विचार न करते हुए मात्र अपने ही संकुचित स्वार्थ का विचार करने की एवं उसके द्वारा राष्ट्र के विघटन के बीज बोने की छूट नहीं दी जा सकती। इस विचार का अंतिम निष्कर्ष या इसका शुद्ध प्रतीक होगा "राष्ट्र धर्म, अर्थात् सर्वोपरि और सर्वप्रथम राष्ट्र का विचार। यही राष्ट्रीय एकात्मता का दृढ आधार होगा।

भारतीय मजदूर संघ का विश्वास है कि-

"भारतीय मजदूर संघ" किसी राजनैतिक पार्टी का या उससे संबद्ध कोई वालंटियर या अन्य प्रकार का दल नहीं। हम चुनाव भी नहीं लड़ते। परन्तु हम यह भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि भारत के कई राजनैतिक नेता चुनाव जीतने हेतु वोटों की लालच में जातिवाद, भाषावाद या सांप्रदायिकता के संकीर्ण भाव एवं भेद उभारने से बाज नहीं आते। राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप, दोषारोपण, गालीगलौच किए जाने से आपस में द्वेष एवं कटुता उत्पन्न होती है। इस प्रकार के चुनाव अभियान एवं राजनैतिक दलों के नेताओं की ये ओछी बातें, घटिया स्तर की हरकतें तथा ऊटपटांग नीतियों आदि से उत्पन्न भेद-विभेद और फूट के कारण राष्ट्रीय एकात्मता पर घातक परिणाम होता है। प्रजातंत्रात्मक देशों में चुनाव की प्रक्रिया एक साधारण और सुलभ ऐसी प्रक्रिया है तथा लोगों की रचनात्मक कार्यों में रुचि उत्पन्न करने का यह सरल उपाय है। लेकिन यदि उच्च स्तर पर विचार-विमर्ष करने के बदले, लोगों को जाति बिरादरी, भाषा, पंथ, मत या विश्वास, एवं क्षेत्र के आधार पर भड़काने जैसे पागलपन से और लोगों में आपसी द्वेष एवं कटुता उत्पन्न करने से, राष्ट्रीय एकात्मता किस तरह हो पाएगी ? अतः ऐसी घातक बातों से राष्ट्र-जीवन पर होने वाले विभेदकारी एवं विघातक परिणामों को रोकने की महती आवश्यकता है।

राम जन्म भूमि

कुछ सांप्रदायिक मुसलमान कहते हैं कि रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का विवाद यह हिन्दू-मूस्लिम समस्या है, किन्तु ऐसा नहीं है। विदेशी आक्रमणकारी बाबर द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए राष्ट्र-पुरुष भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में स्थित राममंदिर का जीर्णोध्दार एवं पुनर्निर्माण का गौरवास्पद प्रयास करना, यही इसका सही परिप्रेक्ष्य है। अतः मुसलमान, "रामजन्मभूमि समिति" को वह स्थान सोंप दें, यह आवश्यक है। मुसलमानों की इतनी मात्र सद्भावना से "राष्ट्रीय एकात्मता" की श्रृंखला अधिक मजबूत होगी।

जम्मू-कश्मीर

आज कश्मीर जल रहा है। उग्रवादियों, अलगाववादियों तथा अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए उपद्रव, हिंसा, सामूहिक हत्यायें एवं निरपराध नागरिकों के अपहरण के कारण हमारे लाखों बन्धु कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर हो गये। इस दर्दनाक परिस्थिति के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों में रहे पुराने शासकों की दुलमुल कमजोर नीति जिम्मेदार है, क्यों कि उन्होंने आक्रमणकारी पाकिस्तान द्वारा 1948 में जोर जबरदस्ती से और अनधिकृत रीति से कब्जा किए हुए एक तिहाई कश्मीर (कथित आजाद कश्मीर) को मुक्त करने की किंचित भी

कोशिश नहीं की। ऐसे पुराने लटके हुए सभी मामलों से पिंड छुड़ाना एवं अलगाववाद की आग को हवा देने वाली सब बातों को समाप्त करने की दिशा में सरकार कदम उठाये यह आवश्यक है।

धारा-370

संविधान की धारा 370 के कारण कश्मीर के प्रति न सिर्फ पक्षपात होता है, बल्कि भेदभाव भी उत्पन्न हुआ है, अतः इस धारा को संविधान से हटाकर, भारत के अभिन्न अंग कश्मीर की बिगड़ी परिस्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार बेझिझक सेना की मदद ले ताकि विघटनकारी एवं राष्ट्र द्रोही ताकतों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वहां शांति स्थापित की जा सके।

समय की पुकार-

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकात्मता खतरे में है, अलगाववादी एवं उग्रवादी ताकतें सब जगह सर उठा रही हैं। पंजाब में फैले भय और आतंक के कारण असुरक्षितता का वातावरण बना हुआ है। आसाम एवं आंध्र के कई हिस्सों में सरकारी तंत्र नाकारा हो गया है। कानून की वहां समाप्ति हो चुकी है। इस तरह की भयानक परिस्थिति देश की एकता-एकात्मता के लिए एक चुनौती है। हम जागें, समय को पहचानें, हम अपने आपसी एवं दलगत स्वार्थों एवं विवादों से ऊपर उठें एवं चुनौती देने वाले अलगाववाद, सांप्रदायिकता, विघातक तत्वों, उग्रवाद एवं देशद्रोही ताकतों का एक जुट होकर मुकाबला करें।

* * *

Printed at Vandana Print & Co,
1885, Gali Koliyan, Suilwalan, Darya Ganj, Delhi-2

श्रीयुंत दत्तोपंत ठेंगड़ी को सत्कार निधि भेंट करते हुए। Presenting a purse to Shri D.B. Thengadi

चीन के सरकारी निमन्त्रण पर पीकिंग के कोटनिस मेमोरियल हाल में
भारतीय मज़दूर संघ का प्रतिनिधि मंडल।

BMS Delegation visiting Kotnis Memorial Hall at Peking in China

स्वर्गीय श्री मनहर भाई मेहता

Late Shri Manhar Bhai Mehta

प्रकाशक : विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्थान, नागपुर

Publisher : Vishwakarma Shramik Shiksha Sansthan, Nagpur

मूल्य : दो रुपये

Price: Rs. 2.00